मणिपुर जा रहा है और अगर वह प्रतिनिधि-मंडल वहां से लौटने के बाद यह रिपोर्ट देता है कि मणिपुर को जल्दी से जल्दी स्वतंत्र राज्य का दर्जा दिया जाय तो क्या आप इस सत्र में यह ऐलान करेंगे कि मणिपुर के लोगों को स्वतंत्र राज्य का दर्जा दे रहे हैं ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : माननीय सदस्य की हिन्दी चूंकि मातृभाषा नहीं है इस लिये स्वतंत्र राज्य से सम्भवतः उन का मतलब इंडिपेन्डेंट स्टेट से नहीं है । मणिपुर को पूरे राज्य का दर्जा देने से आप का मतलब है?

श्री रवि राय : जी हां, पूर्ण राज्य का दर्जा देने से ही मेरा मतलब है ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : हमारी मूल नीति है वह मैं ने समझा दी है कि मूल रूप से इस प्रश्न का, इन मामले का हम विरोध नहीं करते हैं । हम ने स्वीकार किया है कि ....

श्री रवि राय : चार साल बीत चुके हैं इस मांग को करते करते, जब आप स्वीकार करते हैं तो उस को पूरे राज्य का दर्जा क्यों नहीं दे देते ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : जिस तरह की परिस्थितियां एक पृथक और पूर्ण राज्य का दर्जा प्राप्त करने के लिये आवश्यक हैं जब उन का निर्माण वहां हो जायगा तो इसे हम तुरन्त ही वहां पूरे राज्य का दर्जा दे देंगे । और इस में कोई शक नहीं है कि हम लोग इस बात को चाहते हैं कि जितनी भी केन्द्र शासित इस तरह की टेरीटरीज हैं उन में जल्दी से जल्दी ऐसी स्थिति पैदा हो कि जिस से वह अपना पूरे राज्य का दर्जा प्राप्त कर सके । हिमाचल प्रदेश में इस तरह की स्थिति पैदा हो रही है और जल्दी ही हम उस को पूरे राज्य का दर्जा देने में सफल हो पायेंगे । उसी तरह से हम चाहते हैं कि मणिपुर का भी हो जाय । लेकिन जब तक वैसी परिस्थिति नहीं होगी तब तक मैं कोई भी आश्वासन यहां नहीं दे सकता कि उन को पूरे राज्य का दर्जा दे दिया जायगा । मैं चाहता हूं कि वहां की जनता हम से सहयोग करे ताकि हम जल्दी से जल्दी इस बात को कर सकें ।

श्री रवि राय : जब पार्लियामेंट का कोई कानून नहीं है और यह केन्द्र शासित इलाका है, तो फिर यह कानून वहां कैसे लागू रहेगा ?

श्री विद्याचरण शुक्ल : मैं ने बता दिया है ।

श्री मधु लिमये : जो आप सीधे ढंग से नहीं कर सकते हैं वह अप्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

श्री विद्याचरण शुक्ल : प्रत्यक्ष ढंग से कर रहे हैं ।

12.17 Hrs.

PAPERS LAID ON THE TABLE

REPORT OF ENQUIRY (COUNCIL OF SCIENTIFIC AND INDUSTRIAL RESEARCH) AND ANNUAL ACCOUNTS OF U.G.C., 1968-69

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF EDUCATION AND YOUTH SERVICES (SHRI BHAKT DARSHAN): On behalf of Dr. V. K. R. V. Rao I beg to lay on the Table :—

(1) A copy of the Report (Hindi version) of Committee of Enquiry (Council of Scientific and Industrial Research)-Part I. [*Placed in Libarary see* No. LT-3435/70].

(2) A copy of the Annual Accounts of the University Grants Commission for the year 1968-69 together with the Audit Report thereon, under sub-section (4) of section 19 of the University Grants Commission Act, 1956. [*Placed in Libraray see* No. LT-3436/70].

12.18 Hrs.

MESSAGE FROM RAJYA SABHA

SECRETARY : Sir, I have to report the following message received from the Secretary of Rajya Sabha :—

"In accordance with the provisions of sub-rule (6) of rule 186 of the Rules of Procedure and Conduct of Business in the Rajya Sabha, I am directed to return herwith the Appropriation (No. 2) Bill